न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 41 / 2019

1 सुमन कंवर पत्नी रामसिंह जाति राजपुत निवासी सिंहासन तहसील व जिला सीकर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 मकबुल पुत्र करीम खां जाति मुसलमान कसाई।
2 हुसैन खां पुत्र करीम खां जाति मुसलमान कसाई।
3 सोहन कंवर पत्नी रेवतसिंह जाति राजपुत।
4 पार्वती पत्नी मोतीलाल जाति सोनी।
5 गफुर पुत्र गुलाब खां जाति मुसलमान कसाई।
6 सदीक पुत्र गुलाब खां जाति मुसलमान कसाई।
7 अनवर पुत्र गुलाब खां जाति मुसलमान कसाई।
8 सलीम पुत्र गुलाब खां जाति मुसलमान कसाई।
9 अयुब पुत्र गुलाब खां जाति मुसलमान कसाई निवासीगण सिंहासन तहसील व जिला सीकर।
10 पटवारी हल्का पिपराली तहसील व जिला सीकर।
11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।
12 उप पंजियक कार्यालय सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2018
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर कैम्प कोर्ट
सिंहासन मुकदमा अनुवानी सुमन कंवर बनाम
मकबुल आदि मुकदमा नम्बर 131/2014 अपील
अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री शिवकुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 23.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 131/2014 में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवारा विधिवत रूप से प्रस्तुत किया गया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दर्त रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी/रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया जिन प्रतिवादीगणों की प्रर्याप्त तामील हो चुकी थी वे बावजुद तामील उपस्थित नही आने पर उनके खिलाफ दिनांक 03.11.2015 को इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा पत्रावली वास्ते बकिया प्रतिवादीगण की तामील में चलती रही तथा उक्त दिनांक 03.11.2015 से लेकर चुनौतीग्रस्त निर्णय दिनांक 11.06.2018 पारित करने तक दिनांक 03.10.2016 को छोड़कर पीठासीन अधिकारी एक भी न्यायालय में नही बिराजे तथा अन्य कार्यो में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्व आदेशानुसार ही

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

चलती रही जिसका स्पष्ट प्रमाण अधिनस्थ न्यायालय के आदेशिका के अवलोकन से भली भांती स्पष्ट है परन्तु इसके बावजुद भी पक्षकारान को बिना सूचना दिये ही पत्रावली को नियत तारीख पेशी दिनांक 03.08.2018 से पूर्व ही कैम्प कोर्ट सिंहासन में ले जाकर अपना निर्णय व अन्तिम डिक्री पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सख्त कानूनी भूल की है जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा चुनौतिग्रस्त निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर ही नही दिया गया प्रथम तो पत्रावली तामील में चल रही थी जिसमें दिनांक 20.04.2018 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.08.2018 वास्ते तामील नियत थी परन्तु उक्त दिनांक से पूर्व ही दिनांक 11.06.2018 को पत्रावली कैम्प कोर्ट सिंहासन में ले जाकर तथा प्रार्थीया को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपना चुनौतिग्रस्त निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो प्राकृतिक न्याय व न्याय के सामान्य नियमों एंव अपीलार्थीया के विधिक अधिकारों के विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 03.10.2016 20.04.2018 तक तलबी में चल थी। 20.04.2018 को 03.08.2018 आगामी तिथि नियत की गई। इसके उपरान्त आदेशिका में दिंनांक 11.06.2018 की आदेशिका में सीधे विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। तलबी की कार्यवाही, तलबी होने या नही होने, तलबी बन्द करने, एक पक्षीय कार्यवाही, बहस सुनने की कोई कार्यवाही विचारण न्यायालय द्वारा नही की गई है। नियत तिथि 03.08.2018 से पूर्व दिनांक 11.06.2018 को विचाराधीन निर्णय पारित करने का भी कोई

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कारण आदेशिका पर अंकित नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री पूर्णतया विधि विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अत न्यायहित में अपीलांट का आवेदन धारा 5 स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.01.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर